न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।
नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–692 / 2026

सोनू कुमार बनाम् बिहार सरकार

जंदाहा थाना कांड संख्या–232 / 2026

अंतर्गत धारा–303(2), 317(5), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।

Web Copy not Official

05-06-2026 जंदाहा थाना कांड संख्या–232 / 2026, धारा–303(2), 317(5), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में अभिरक्षाधीन आवेदक **सोनू कुमार उम्र–22 वर्ष पेसर–शिवशंकर सिंह, साकिन–नसरतपुर, थाना–जंदाहा, जिला–वैशाली**, जो दिनांक–28.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री रामजतन राय** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–27.04.2026 को समय 10.10 बजे दिन में बैंक चेकिंग एवं वाहन चेकिंग हेतु सूचक सशस्त्र बल के साथ थाना से प्रस्थान किया। गुरु चौक के पास बैंक चेकिंग एवं वाहन चेकिंग के क्रम में समय करीब 11.10 बजे उसे सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्ति चोरी के होण्डा साईन मोटरसाईकिल एवं स्कुटी से ग्राम मलकौली हाट दुर्गा मंदिर के पास घुम रहे है, जो तुरंत जाने पर चोरी के मोटरसाईकिल के साथ रंगे हाथ पकड़े जा सकते है। प्राप्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई में साथ के बल वाहन के साथ प्रस्थान किया। समय करीब 11.30 बजे ग्राम मलकौली हाट दुर्गा मंदिर के पास बल वाहन के साथ जैसे ही पहुँचे तो पुलिस गाड़ी को देखकर दो व्यक्ति एक मोटरसाईकिल एवं एक स्कूटी से भागने का प्रयास करने लगे। भागने के दौरान पुलिस बल के सहयोग से एक व्यक्ति को मोटरसाईकिल के साथ पकड़ लिया गया जबकि दूसरा व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास किया गया परन्तु दूसरा व्यक्ति स्कूटी को वही पर छोड़कर भागने में सफल रहा। पुलिम की कार्रवाई को देखकर आसपास के ग्रामीण लोग इकट्ठा हो गये। इकट्ठा हुए ग्रामीणों के समक्ष मोटरसाईकिल के साथ पकड़ाये व्यक्ति का गाम पत्ता पूछने पर अपना नाम सोनू कुमार पिता शिवशंकर सिंह ग्राथ नसरतपुर वार्ड नंबर 04 थाना–जंदाहा जिला वैशाली बताया। होण्डा साईन मोटरसाईकिल के साथ पकड़ाये व्यक्ति सोनू कुमार से भागने का कारण एवं होण्डा साईन मोटरसाईकिन जिसका रजि0 नंबर BR31AC9087 एवं दूसरा भागे व्यक्ति का नाम पता तथा छोड़ कर भागे यामाहा स्कूटी जिसका रजि० नंबर BR31BE0834 के संबंध में पूछने पर पकड़ाये व्यक्ति सोनू कुमार के द्वारा बताया गया कि दूसरा भागने वाला व्यक्ति नितीन कुमार है और यामाहा स्कूटी जिसका रजि० नंबर BR31BE0834 के संबंध में बताया कि यह स्कूटी उसका है जबकि होण्डा

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–692 / 2026

सोनू कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

05.06.2026

साईन मोटरसाईकिन जिसका रजि० नंबर BR31AC9087 चोरी का है। वह और नितीन कुमार मिलकर होण्डा साईन मोटरसाईकिन चोरी करके रखे हुए थे में और नितीन कुमार और वे लोग आसपास के गाँव घर में रात में चोरी करने के इरादे से रेकीं करने के लिए घुम रहे थे कि पुलिस को आते देख पकड़ने जाने के डर से भागने लगे। पूर्व में भी चोरी का केस जन्दाहा थाना में दर्ज है, और गिरफ्तारी के डर से भागे रहते थे। उसके बाद तलाशी नियमों का पालन करते हुए होण्डा साईन मोटरसाईकिन जिसका रजि० नंबर BR31AC9087 एवं यामाहा स्कूटी जिसका रजि० नंबर BR31BE0834 का तलाशी लेने पर यामाहा स्कूर्टी के डिक्की के अंदर से करीब 16 हाथ का पीला रंग का रस्सा एवं एक लोहे का छेनी बरामद हुआ। बरामद मोटरसाईकिल, स्कूटी, रस्सा एवं छेनी का विधिवत् जप्ती सूची तैयार कर उसे जप्त किया गया एवं पकड़ाये अभियुक्त सोनू कुमार को विधिवत गिरफ्तार किया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री रामजतन राय** का कथन है कि, आवेदक दिनांक–28.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे मिथ्या रूप से इस मामला में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्व जंदाहा थाना कांड सं0–496 / 2024 अंतर्गत धारा–303(2), 317(5) लंबित है। अभियोजन कथानक पूर्णतः मनगढंन्त है। आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हैं।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, कांड दैनिकी एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिसे घटनास्थल से चोरी के होण्डा साईन मोटरसाईकिल जिसका रजि0 नंबर BR31AC9087 के साथ गिरफ्तार किया गया है और एक व्यक्ति नितीन कुमार जो यामाहा स्कूटी जिसका रजि० नंबर BR31BE0834 के साथ थे, भागने में सफल रहा है जिसका नाम आवेदक द्वारा लिया गया है और यामाहा स्कूर्टी के डिक्की के अंदर से करीब 16 हाथ का पीला रंग का रस्सा एवं एक लोहे का छेनी बरामद हुआ है। प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 04 एवं 05 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 53 एवं 55 से विदित होता है कि इस मामले के सह अभियुक्त नितीन कुमार का उम्र घटना के समय 18 वर्ष से कम पाते हुए उसके वाद को किशोर न्याय बोर्ड, हाजीपुर भेजा गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 20 एवं जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्व जंदाहा थाना कांड सं0–496 / 2024 लंबित है। अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों एवं कांड

Web copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन पत्र संख्या–692 / 2026

सोनू कुमार बनाम् बिहार सरकार

लगातार

05.06.2026 दैनिकी की कंडिका 63 से विदित होता है कि यामाहा स्कूटी जिसका रजि० नंबर BR31BE0834 के मालिक सोनू कुमार (आवेदक) है। आवेदक दिनांक–28.04.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों तथा वाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आवेदक के विरूद्व आरोप–पत्र समर्पित होने के पश्चात् नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक को आरोप–पत्र समर्पित होने के पश्चात् मो0 10,000 / – की समान राशि के दो प्रतिभूगण द्वारा जमानत बंध पत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय के संतुष्टि पर मुक्त करने का आदेश इस शर्त पर दिया जाता है कि–

1. आवेदक किभी भी प्रकार के ऐसे अपराध में शामिल नहीं होगा और हिरासत से रिहा होने के बाद एक वर्ष की अवधि तक प्रत्येक माह के पहले सप्ताह में संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को अपने सदाचरण के संबंध में उपस्थित होकर रिपोर्ट करेगा।

2. आवेदक किसी भी तरह से मुकदमा के निपटारा में देरी नहीं करेगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा–351 के तहत बयान होने के समय वह शारीरिक रूप से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी आवेदक द्वारा उल्लंघन होने की स्थिति में संबंधित विचारण न्यायालय आवेदक का जमानत रद्द करने और आवेदक को कारागार भेजने के लिए स्वतंत्र होगा।

आवेदक का जमानत स्वीकार करने से पहले विद्वान विचारण न्यायालय से अनुरोध है कि उक्त आदेश की एक प्रति संबंधित थाना के थानाध्यक्ष को भेजे और उन्हें निर्देश दिया जाए कि यदि आवेदक उपरोक्त शर्तों में निर्दिष्ट किसी भी महीने में उनके समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो संबंधित थानाध्यक्ष विद्वान विचारण न्यायालय को सूचित करें।

तथापि विद्वान न्यायालय आवेदक के विरूद्व आरोप–पत्र समर्पित होने के पश्चात् बन्ध–पत्र स्वीकार करेगा।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official